First ISO 9001:2000 certified
Government organisation in Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ इंफोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसायटी "चिप्स"

चिप्स में पेमेंट गेटवे के वित्तीय प्रबंधन हेतु फर्म के चयन हेतु विवरणिका

मूल्य रु. 100/-

(अध्याय–2)
मुख्य तिथियां

1. निर्धारित प्रस्ताव प्रपत्र जमा करने के साथ प्रपत्र मूल्य 100/– बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, रायपुर के नाम देय हो, जमा करना आवश्यक है, अन्यथा प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया जायेगा।
2. सीलबंद प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 25/06/2021, दोपहर 3 बजे तक।
3. व्यवसायिक प्रस्ताव खोलने की तिथि 25/06/2021, सायंकाल 4 बजे ।
4. वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि– निविदाकारों को पृथकतः सूचित की जायेगी ।

स्थान –चिप्स कार्यालय, स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर।

संपर्क का पता

छत्तीसगढ़ इंफोटेक एंड बायोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स)

स्थान – चिप्स कार्यालय, स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर – 492 001

फोन नंबर–0771–4023123, फैक्स नंबर–0771–4066205

चिप्स में पेमेंट गेटवे के वित्तीय प्रबंधन हेतु फर्म के चयन हेतु विवरणिका

(अध्याय–3)

चिप्स ने अपने कार्यों के लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं से पेमेन्ट गेटवे की सुविधा ली है। इस सेवा के प्रबंधन हेतु चिप्स को ऐसी वित्तीय प्रबंधन संस्था की सेवाओं की आवश्यकता है, जो पेमेन्ट गेटवे से प्राप्त एवं भुगतान की गई राशि का प्रबंधन एवं लेखा संधारण कर सकें। इस वित्तीय प्रबंधन फर्म द्वारा योग्य एवं कुशल कार्यकर्त्ताओं (जो चिप्स को मान्य हो) के माध्यम से संबंधित ये सेवाएं उपलब्ध कराना होगा।

1. **सेवा का स्वरूप** –

(1.1) चिप्स में पेमेंट गेटवे से संचालित राशि के वित्तीय प्रबंधन, लेखाओं का लेखांकन, अभिलेख संधारण, पत्रक प्रबंधन, कर, भुगतान आदि के निर्धारण संबंधी मामलों को निपटाना।

(1.2) चिप्स में पेमेंट गेटवे से संचालित राशि के लेजर एकाऊंट तैयार करना, समस्त करों की गणना कर चिप्स (वित्त शाखा) को अवगत करना।

(1.3) चिप्स में पेमेंट गेटवे से संचालित राशि के वित्तीय प्रबंधन हेतु आवश्यक पंजियों का मैन्यूल एवं कम्प्यूटर से संधारण करना।

(1.4) चिप्स में पेमेंट गेटवे संबंधी डाटा तैयार/ एनालिसिस/ सत्यापन कर जानकारी उपलब्ध कराना।

(1.5) वित्तीय प्रबंधन फर्म को प्रत्येक माह के पेमेंट गेटवे डाटा को रिकंसाईल करना तथा उसके अनुरुप मासिक रुप से बैलेंस शीट तैयार करना होगा।

(1.6) फर्म को वित्त एवं प्रबंधन संबंधी मामलों पर चिप्स को मार्गदर्शन देना होगा।

(1.7) संस्था को पेमेंट गेटवे संबंधी अनुबंधों, एम ओ यू आदि पर विधि सम्मत सलाह देना होगा।

(1.8) वित्तीय संस्थान को निम्नालिखित मदों का रिक्नशिलेशन करके विस्तृत रिर्पोट Monthly & Quaerly Basis पर उपब्लध करना होगा।

(1) सिस्टम इंट्रीग्रेटर द्वारा प्रस्तुत इन्वाइस (चालान) के भुगतान हेतु।

(2) निविदा शुल्क/पंजीकरण शुल्क/नवीनीकरण शुल्क के लिए बोलीदाता (Bidder) के द्वारा दो या दो से अधिक बार भूगतान हेतु।

(3) विभिन्न विभागों के द्वारा लिये गये टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क हेतु।

(4) इंटीग्रेटेड ई–प्रोक्योरमेंट परियोजना अंतर्गत विभिन्न विभागों के टेण्डरों के लिए जमा/भूगतान किये गये अमानत राशि हेतु।

उपरोक्त संबंध में विस्तृत जानकारी **अनुलग्नक (अ)** में संलग्न है।

(1.9) संस्था के ऐसे सभी कार्य करना, जो पेमेंट गेटवे से संबंधित हो।

2. अनुभव–एकाउन्टिंग सी. ए. फर्म को :–

(2.1) आवेदक फर्म को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊटेंट ऑफ इंडिया में दिनांक 1/1/2020 की स्थिति में पंजीकृत होना चाहिए तथा महालेखाकार में सूचीबद्ध होना चाहिए। आवेदक फर्म को आय सी ए आई द्वारा जारी कांस्टीट्यूशन प्रमाण पत्र महालेखाकार का इम्पेनल्ड प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होंगे।

(2.2) आय सी ए आई के पंजीकरण अनुसार फर्म का पंजीकृत हेड ऑफिस रायपुर, छत्तीसगढ़ में होना चाहिये तथा रायपुर में कार्यालय होना चाहिए।

(2.3) आवेदक की भागीदारी फर्म होना चाहिए। आय सी ए आई के पंजीकरण अनुसार फर्म में पूर्णकालीन भागीदार तीन वर्ष से कम के न हो।

(2.4) फर्म को 10 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए जिसमें से 3 साल का शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों के वित्तीय प्रबंधन का अनुभव होना आवश्यक होगा। इस हेतु अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

(2.5) फर्म का विगत तीन वर्ष का औसत टर्न ओवर कम से कम रु. 20 लाख होना चाहिए।

(2.6) फर्म का प्रबंधन चार्टर्ड एकाऊटेंट के पास होना आवश्यक है तथा चिप्स के समस्त कार्यों का निष्पादन चार्टर्ड एकाऊटेंट द्वारा ही किया जाये।

(2.7) फर्म को जी.एस.टी. नियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये। इसके लिये उन्हें जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।

(2.8) फर्म का आय कर में पंजीयन होना आवश्यक है, इसके लिये उन्हें पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।

(2.9) फर्म या उसके किसी भागीदार को शासकीय विभाग/ उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है, इस बावत शपथ पत्र आवेदक फर्म को प्रस्तुत करना होगा।

(2.10) प्राप्त निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन निम्नलिखित पैरामीटर्स पर किया जायेगा–

Sl. No.	Particulars	Minimum Criteria	Max Marks	Evaluation Criterion
1	Number of Full Time Fellow Partners associated with the firm for not less than 3 years (As per certificate of ICAI as on 1.1.2020)	2	10	Firms with 2 or more partners = 5 marks Firms with 3 or more partners = 10 marks
2	Number of Full Time Associate Partners associated with the firm for not less than 3 years (As per certificate of ICAI as on 1.1.2020)	1	5	Firms with 1 or more partners = 5 marks
3	Turnover of the firm (Average annual in last three financial yrs.)	20 Lakhs	15	Rs 20 to 25 Lakh= 5 marks 26 to 30 Lakh = 10 marks 31 to 35 Lakh = 13 marks Above 35 lakhs = 15 marks
4	Experience in Audit/Accounting of Government Corporate/PSUs entities	3 Years	10	Experience in Year 3 to 4 = 5 marks, Experience in Year above 4 = 10 marks
5	Establishment of Firm (constitution of Firm)	10 Years	30	Establishment of firm 10 to 20Years = 15 marks, Establishment of firm 20 to 30 Years = 20 marks, Establishment of firm above 30 Years = 30 marks
6	Experience in Management & Accounting of E-procurement Transactions(Government Organization).	0 Years	30	Experience of 1 month to less then 4 Year = 10 marks, Experience of 4 to less then 7 Year = 20 marks, Experience 7 Year & above = 30 marks
TOTAL MAXIMUM MARKS			**100**	

(2.11) व्यवसायिक प्रस्ताव में अर्जित अंकों का 80 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रस्ताव का 20 प्रतिशत वैटेज दिया जाकर, निविदाकारों की अंकों के आधार पर सूची बनाई जायेगी। सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्त्ता को कार्यादेश दिया जायेगा।

3. चिप्स के किसी संव्यवहार, पत्र व्यवहार अथवा मुद्दे पर प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रबंधकीय फर्म बगैर पूर्व अनुमति के अधिकृत नहीं होगी।

4. **त्रुटि की दशा में जिम्मेदारी** :—सौंपे गये चिप्स के कार्य संपादन में हुई प्रबंधकीय फर्म की किसी भी त्रुटि/भूल के लिए चिप्स द्वारा उसके एग्रीमेंट को पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से निरस्त किया जा सकेगा। इस हेतु प्रबंधकीय फर्म को सुधार/समाधान हेतु दो सप्ताह का सूचना पत्र जारी किया जावेगा। इसके फलस्वरूप उस सेवा को जारी रखने हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय भार चिप्स पर पड़ता है, तो प्रबंधकीय फर्म द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जावेगी।

5. **कार्य निरस्तीकरण** :– प्रबंधकीय फर्म द्वारा किया गया कार्य किसी भी प्रकार से चिप्स की आवश्यकताओं, तार्किक दृष्टिकोण से अथवा पर्याप्त स्तर के अनुकूल न होने की स्थिति में उस कार्य को निरस्त किया जा सकेगा अथवा प्रबंधकीय फर्म को उसमें एक निश्चित समयावधि में बिना अतिरिक्त व्यय के सुधार करने कहा जावेगा। इस पर भी सुधार न होने की दशा में चिप्स इसे अन्य स्त्रोतों से सुधार या पूर्ण करने, निर्देशित कर सकता है। इस प्रकार होने वाले अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति प्रबंधकीय फर्म से वसूल कर की जा सकेगी और अनुबंध भी निरस्त किया जा सकेगा। इस प्रकार की त्रुटि, असद्व्यवहार अथवा लापरवाही के कारण होने वाले हानि या नुकसान की भरपाई पूर्णतः या अंशतः प्रबंधकीय फर्म से की जा सकेंगी।

6. **जमानत राशि** :– प्रबंधकीय फर्म को भुगतान करते समय उस बिल की राशि की 5 प्रतिशत के समतुल्य राशि जमानत के रूप में काटी जावेगी, इससे नुकसान की भरपाई, यदि कोई हो, की जा सकेगी।

7. **निविदा मूल्य** :– निविदा मूल्य की राशि रु. 100/– बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, रायपुर के नाम से निविदा प्रस्ताव के साथ जमा करना होगा। यदि उक्त राशि का बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक नहीं दिया जाता है तो निविदा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

8. छत्तीसगढ़ राज्य में लागू कानून के अनुरूप प्रबंधकीय फर्म को उपयुक्त लायसेंसधारी होना चाहिए, सी.ए. फर्म का हेड ऑफिस रायपुर, छत्तीसगढ़ में पंजीकृत होना चाहिए तथा जी.एस.टी. के लिए भी पंजीकृत होना चाहिए, इस संबंध में पंजीकरण संख्या दर्शाना आवश्यक होगा।

9. आशय पत्र प्रस्तुति के साथ समस्त आवश्यक क्लीयरेंसेस, सर्टिफिकेट्स एवं अनुमतियां आदि प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

10. आशय पत्र नीचे लिखे विवरण अनुसार दो पृथक–पृथक लिफाफों में देना होगा।

11. प्रबंधकीय सी.ए. फर्म को उपरोक्त बिंदुओं पर एक अनुबंध चिप्स के साथ निष्पादित करना होगा।

12. यदि फर्म कार्यादेश जारी करने के उपरान्त नियत तिथि तक अनुबंध निष्पादित नहीं किया तो उनका कार्य निरस्त कर दिया जावेगा, तथा उसके उत्तरवर्ती फर्म को कार्य दिया जा सकेगा।

13. किसी भी प्रस्ताव या समस्त प्रस्तावों को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स को रहेगा।

अनुलग्नक (अ)

SCOPE OF WORK

Sr.No	Scope of Work	Documents required for Verification	Verification Criteria
1	Reconciliation of Payment Invoice Submitted by SI	**Referred Source Document for reconciliation :-** 1) Detail Payment Invoice with Tender wise Transaction details 2) Payment Gateway (NSDL,Indusind ,HDFC,Axis Bank) Transaction Status Report 3) Bank Statement of Different Banks Integrated with Payment Gateway. 4) e- Procurement System Generated Accounting Reports for Tenders and its Payment Details. 5) Old Verification Report in order to ensure no double Payment to be made for same transaction	**1) Out of 7 status of the submitted bids only one status i.e. "submitted bid" is qualified for payment to System Integrator(SI).** **2) Different Account/ Transactions statement is being checked for successful receiving of above tender /EMD Amount to CHiPS A/C.** **3) Previously released Payment Transactions is also verified for duplicacy of the transactions** **4) Bids Capping upto 10 bids for SI Payment**
2	Bidder refund for tender fees/Registration Fee/Renewal Fees /EMD paid twice by the Bidder	• Payment Gateway (NSDL,Indusind ,HDFC,Axis Bank) Transaction Status Report • Bank Statement of Different Banks Integrated with Payment Gateway. • e- Procurement System Generated Accounting Reports for Tenders and its Payment Details. • Old Verification Report in order to ensure no double Payment to be made for same transaction . • Refund Request Submitted by the Bidder along	• **Different Account/Transactions statement is also checked for successful receiving of above tender /EMD Amount to CHiPS A/C .** • **Previously released Payment Transactions is also verified for duplicacy of the transactions** • **Verification of Supporting Documents submitted by Bidders.**

		necessary supporting Documents	
3	Department Refund of Tender Processing Fees	• Payment Gateway (NSDL,Indusind ,HDFC,Axis Bank) Transaction Status Report • Bank Statement of Different Banks Integrated with Payment Gateway. • e- Procurement System Generated Accounting Reports for Tenders and its Payment Details. • Old Verification Report in order to ensure no double Payment to be made for same transaction.	• **Different Account/Transactions statement is being checked for successful receiving of above tender /EMD Amount to CHiPS A/C .** • **Previously released Payment Transactions is also verified for duplicacy of the transactions**
4	Reconciliation of Earnest Money Collected and Refunded online using Integrated e-Procurement System	• Payment Gateway (NSDL,Indusind ,HDFC,Axis Bank) Transaction Status Report • Bank Statement of Different Banks Integrated with Payment Gateway. • e- Procurement System Generated Accounting Reports for Tenders and its Payment Details. • Old Verification Report in order to ensure no double Payment to be made for same transaction.	• **Different Account/Transactions statement is being checked for successful receiving of above tender /EMD Amount to CHiPS A/C .** • **Previously released Payment Transactions is also verified for duplicacy of the transactions**

2 **Monthly Reporting**

a. Reconciliation report with payment Gateway & Chips portal towards tender fees/registration fees etc. Received.
b. Bank Reconciliation with payment Gateway transactions with Bank transaction.
c. Reconciliation of EMD Refund.
d. Reconciliation of Excess tender amount received from bidders.
e. Verification of excess tender fees amount refunded to bidders.
f. Verification of excess EMD amount received from bidders.
g. Verification of tender fees amount Refundable to Departments
h. Verification of income recognised by chips from said project.

3 **Yearly Reporting**

A. Provide information in specified format at the time finalisation of account.
B. Verification of compliance of statutory liability (Income TAX, GST etc.)
C. Preparation of separate cash book of each payment gateway & bank accounts.

लिफाफा कमांक–1

इसे लिफाफा कमांक–1 में रखें तथा उस पर "व्यवसायिक जानकारी" लिखें

भाग– अ

Requisite information form

Financial Management Firm for Payment Gateway of CHPS

Name of Organization	--
Address of registered Head Office	--
(with phone No)	--
	--
Local Communication Address at Raipur	--
(with phone No)	--
	--
Mail ID	--
Name of Partners	1.---
	2.---
	3.---
	4.---
	5.---
	6.---
Name of Person Signing EOI	--
Registration No. of Organization	--
Year of experience	--

I unconditionally and fully accept all the terms and conditions for this tender.

Seal & Signature

Date------------

Place----------------

इसे लिफाफा कमांक–1 में रखें तथा उस पर ''**व्यवसायिक जानकारी**'' लिखें

भाग– ब

व्यावसायिक जानकारी

कृपया निम्न दस्तावेज संलग्न करें–

क्र.	विवरण	संलग्नक कमांक
1	आवेदक फर्म को दिनांक 1/1/2020 आय सी ए आई द्वारा जारी कांस्टीट्यूशन प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी	
2	महालेखाकार के दिनांक 1/1/2020 इम्पेनल्ड प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी	
3	फर्म के भागीदारी से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें	
4	अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी (स्व प्रमाणित)	
5	आयकर के पैनकार्ड की फोटो प्रति	
6	फर्म का विगत तीन वर्ष का औसत टर्न ओवर हेतु आय कर स्टेटमेंट, आय–व्यय पत्रक एवं ऑडिट रिपोर्ट की प्रति (2017–18, 18–19, 19–20)	
7	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति	
8	ब्लेक लिस्टेड न होने का शपथ पत्र	
9	विस्तृत प्रस्ताव, अध्याय–3 के प्रत्येक पृष्ठ की हस्ताक्षरित प्रति	
10	निर्धारित प्रस्ताव प्रपत्र का मूल्य 100/– बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक कमांक .... दिनांक .... बैंक का नाम	

स्थान ----------------------

दिनांक / /

प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर ----------

नाम ------------------------------------

फर्म ------------------------------------

फर्म की सील

लिफाफा कमांक–2

इसे लिफाफा कमांक–2 में रखें तथा उस पर "**वित्तीय प्रस्ताव**" लिखें

वित्तीय प्रस्ताव

मेरे द्वारा चिप्स में एकाउंटिंग कार्य के लिये निम्नानुसार मासिक दरें प्रस्तावित की जाती है। इन दरों में सभी प्रकार के व्यय, टैक्स एवं कर सम्मिलित हैं।

प्रस्तावित मासिक फीस की राशि (सभी प्रकार के व्यय, टैक्स एवं कर सहित)		
1	अंकों में	
2	शब्दों में	

स्थान ------------------

दिनांक / /

प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर ----------

नाम ------------------------------

फर्म ------------------------------

फर्म की सील